निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 03/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

आन्ध्रा बैंक, शाखा निवारू रोड, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

(1) मैसर्स गौरव फूड एण्ड वाटर सप्लायर्स जरिये प्रोपराईटर श्री लक्ष्मीनारायण डाबरिया (ऋणी)
मार्फत लक्ष्मीनाराण जयपुर–4, खोरा बीसल, सरना डूंगर के पास, जयपुर ।

(2) श्रीमती कोमल देवी
पता–सरना डूंगर, पंचायत समिति, तहसील झोटवाडा, जयपुर ।

(3) श्री चेताराम डाबरिया पुत्र श्री डालूराम
पता–126 रेगरों का मोहल्ला, ग्राम माथा भीम सिंह, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।

(4) सुरेश कुमार डाबरिया पुत्र श्री केशर मल डाबरिया
पता प्लाट नं॰ 125, गंगा मन्दिर भीम सिंह के पास, फुलेरा, जयपुर ।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।

निर्णय दिनांक 03.09.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी लक्ष्मीनारायण डाबरिया के स्वामित्व की रहवासी सम्पत्ति पट्टा नं॰ 4, ग्राम पंचायत सरना डूंगर, पंचायत समिति झोटवाडा जयपुर क्षेत्रफल 150 वर्गगज को बन्धक कर दिनांक 04.02.2016 को राशि 9,00,000/–रूपये एवं दिनांक 01.05.2015 को 15,00,000/–रूपये कुल राशि 24,00,000/–रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 07.04.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ।

3. प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 24,00,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 24,53,349/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 07.04.2018 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी लक्ष्मीनारायण डायरिया के स्वामित्व की रहवासी सम्पत्ति पट्टा नं॰ 4, ग्राम पंचायत सरना डूंगर, पंचायत समिति झोटवाडा जयपुर क्षेत्रफल 150 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पावन्द करे। आदेश की प्रति हस्च कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

7. आदेश आज दिनांक 03.09.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

3/9/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर